

# विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 430/वि0स0/प0का0/76(प)/2005

लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022

## अधिसूचना

### प्रकीर्ण

चूंकि, जनपद-रामपुर, 37 रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री मोहम्मद आजम खां, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे,

और, चूंकि, श्री मोहम्मद आजम खां, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-37 रामपुर को वाद संख्या-305/2019, पंजीयन संख्या-235/2022 मु0अ0सं0-185/2019 थाना मिलक, जनपद रामपुर के प्रकरण में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-1, विशेष न्यायालय एम0पी0, एम0एल0ए0, रामपुर द्वारा धारा-153ए, 505(1)(b) भादवि एवं 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास व 2000/- रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है। अतएव भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार दिनांक 27 अक्टूबर, 2022 से निरह माने जायेंगे;

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री मोहम्मद आजम खां का उक्त स्थान दिनांक 27 अक्टूबर, 2022 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 430(1-8)/वि0स0/प0का0/76(प)/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1-मा0 राज्यपाल के प्रमुख सचिव को मा0 राज्यपाल की सूचनार्थ,
- 2-उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
- 3-जिलाधिकारी, रामपुर,
- 4-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 5-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 6-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
- 7-श्री मोहम्मद आजम खां पुत्र मुमताज खां, घेर मीर बाज खां, जनपद रामपुर,
- 8-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

मोहम्मद मुशाहिद,

विशेष सचिव।

संख्या : 430(1)/वि0स0/प0का0/76(प)/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली (011-2305 2025) को श्री मोहम्मद आजम खां की विधान सभा की सदस्यता निरहित किये जाने के फलस्वरूप हुई उक्त रिक्ति की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

मोहम्मद मुशाहिद,

विशेष सचिव।